

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक , 2017

संख्या-2/एल01-2003/2013 गृ0आ0

/श्रीमती वीणा कुमारी, अनुमंडल

पुलिस पदाधिकारी, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, 230 एवं 248 के आलोक में दिनांक 06.10.2016 से 03.11.2016 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों के उपभोग किए गए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल01-2003/2013 गृ0आ0

/पटना, दिनांक, 2017

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल01-2003/2013 गृ0आ0

288

/पटना, दिनांक 13/11/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना को उनके पत्रांक-9078 दिनांक 20.12.2016 के प्रसंग में/श्रीमती वीणा कुमारी, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।